



GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

**District Registering Authority
KANNAUJ**

CERTIFICATE OF PROVISIONAL REGISTRATION

This is to certify that *Dr. Anita Ranjan Multispeciality Hospital* located at *Shirdi Dham* owned by *Jitendra Singh* has been granted provisional registration as a clinical establishment under Section 15 of The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010. The Clinical Establishment is registered for providing medical services as a *Hospital, Polyclinic, Pathology, Haematology, Biochemistry, Microbiology, Xray Centre, ECG Centre* under *Allopathy* System of Medicine.

This Certificate is valid for a period of one year from the date of issue.


**(CHIEF MEDICAL OFFICER)
DISTRICT REGISTRATION AUTHORITY
Clinical Establishments Act-2010
DRA, Kannauj
Kannauj**
Designation of the Issuing Authority

Place: Kannauj

Date of Issue: 19/05/2024

Terms and Conditions of Registration*

1. The holder of this Certificate of Registration shall comply with all the provisions of Clinical Establishment Act (Registration and Regulation) 2010 and the Rules made there under.
2. The Certificate of Registration is not transferable. The Certificate of Registration shall be displayed in a prominent place in a part of the premises open to the public.
3. Any change of ownership or change of category or change of management or on ceasing to function as a clinical establishment, the certificate of registration shall be surrendered to the authority and application for fresh registration submitted.

**Additional terms and conditions are as stipulated by the appropriate registering authority.*

<http://clinicalestablishments.gov.in/AuthenticatedPages/DRA/Provisional.aspx?StatusId=QqF1392%2f8ps%3d&DistrictId=TGB4A6rtZyl%3d>; Date:19/05/2024

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00567/2023-2024

दिनांक 16/06/2023



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण

संख्या: R/KNJ/03086/2023-2024

पत्रावली संख्या: K-47810

दिनांक: 2013-2014

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि बाबू सिंह कृष्णा देवी समिति, शिरडी धाम फर्रुखाबाद रोड, छिबरामऊ, कन्नौज 209721 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 207/2013-14 दिनांक-07/06/2013 को दिनांक-07/06/2023 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1100 रुपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By
(AKHILESH CHANDRA MAURYA)
154C24284C6D8CF5A6D0F0A1F55F1A2114636DE4

Date: 16/06/2023 1:51:44 PM, Location: Kanpur.

जारी करने का दिनांक-16/06/2023

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

---:~ संशोधित स्मृति पत्र ---:~

1. संस्था का नाम : बाबू सिंह कृष्णा देवी समिति
2. संस्था का पता : A/1 डाक्टर्स कालोनी, मेडिकल कालेज कैम्पस, बेबर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद (उ० प्र०) 209601
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था के उद्देश्य : शासन, प्रशासन की सहमति से निम्नानुसार निम्न उद्देश्य होंगे।

- 1- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्राओं की उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय खोलना।
 - 2- छात्राओं हेतु रोजगार पूरक विषयों व संकायों की सम्बद्धता महाविद्यालय में लेना।
 - 3- संस्था द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत सभी महत्वपूर्ण कार्यों को करना।
 - 4- महाविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा हेतु आवश्यक सुविधा प्रदान करना।
 - 5- समिति द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, शोध केंद्र, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, डेंटल कालेज, आयुर्वेदिक कालेज, फार्मसी कालेज, महाविद्यालय आदि को नियमानुसार स्थापित व संचालित करना।
 - 6- समिति द्वारा हास्पिटल, नर्सिंग होम, डिस्पेन्सरी, डायग्नोस्टिक सेंटर, रिसर्च सेंटर आदि खोलना, उन्हें संचालित करना तथा उनका प्रबन्ध करना।
- चरित्रवान तथा शुभ आचरण करने वाले अध्यापकों, प्राध्यापकों तथा विशेषज्ञों को नियुक्ति करना जो शिष्यों तथा विद्यार्थियों को आधुनिक विज्ञान, आधुनिक व्यवसाय, नवोपयोगी कार्य, बौद्धिक एवं अन्य उपयोगी वृत्तियों में शिक्षा आधुनिकतम शिक्षण देने के योग्य हों।
- विद्यार्थियों एवं उस संस्था से सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों के मानसिक, शारीरिक तथा नैतिक विकास की ओर स्वस्थ और समालोचनात्मक मनोभाव को विकसित करना ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें।
- 9- समिति की विषय वस्तु का इस प्रकार विनिधान, व्यायन, अन्तरण करना तथा उद्देश्यों को प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित कराना।



सत्य-प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
फार्सो, सोसाइटीज तथा शिक्षण संस्थान
कानपुर

04/04/2022

- 10- दान, उपहार, अनुदान तथा अन्य भेंटों को स्वीकार करना तथा उन्हें संस्था के प्रयोजनों के लिये व्यवहार में लाना।
- 11- इस सामाजिक आधीन संस्थापित या स्थापित की जाने वाली संस्थाओं के साधारण व देशसेवा में होने वाले व्यय तथा अन्य परिचयों की पूर्ति के लिये संगत शिक्षण शुल्क व अन्य शुल्क लेना।
- 12- शिष्यों को इस प्रकार प्रशिक्षित और सन्तुष्ट करना कि वे शिष्ट आ सामान्य जीवन पथ अपनाने के लिये आत्मनिर्भर हो सकें और अच्छे स्वस्थ और प्रगतशील नागरिक बनें।
- 13- विद्यार्थियों तथा उस संस्था से सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों के लिये छात्रावास स्थापित करना तथा उसे चलाना।
- 14- समिति द्वारा शिक्षण संस्थायें आदि को नियमानुसार स्थापित व संचालित करना।
- 15- केन्द्रीय एवं राज्य सरकार स्थानीय निकाय एवं विदेशी सरकार, मिशन द्वारा स्वीकृत योजना को ढ़नरिहा में संचालित करना व कराना।
- 16- सेमिनार, कान्फ़रेन्स, प्रदर्शनी आदि के आयोजनों के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक विज्ञान व तकनीकी शिक्षा प्रदान करना।
- 17- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चल अचल सम्पत्ति, भूमि भवन आदि दान पट्टे पर लेना व देना, क़य करना, विक्रय करना, किराये पर लेना व देना अदि। तथा अर्थिक सहायता प्राप्त करना।

हस्ताक्षर



सत्य-प्रतिनिधि

प्रधान सहायक
फ़ार्म, सोसाइटीज तथा विद्या
कानपुर

21/04/2022

5. प्रवर्धनकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता व पद एवं व्यवसाय जिन्हें संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है :-

क्र०सं०	नाम	पिता /पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्रीमती शान्तीप्रिया	श्री चन्द्र नारायण प्रसाद	रंजन निकेतन कोर्ट स्टेशन जिला- पूर्णिया, बिहार।	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्री साकेत कुमार	श्री गौरी शंकर मिश्रा	ग०सं० 5,ए, टी धन्ना वाली मली न०-2ए वेस्टेंड, सिदुलजाब साकेत मेट्रो स्टेशन के पास गांव-सिदुल अर्जुन दक्षिण दिल्ली।	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3.	डॉ० जितेन्द्र सिंह	श्री बाबू सिंह	ए-1 डाक्टरा कालोनी मेडिकल कालेज, कैम्पस, बेबर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद।	सचिव/ प्रबन्धक	चिकित्सक
4.	डा० अनीता रंजन	डा० जितेन्द्र सिंह	ए-1 डाक्टरा कालोनी मेडिकल कालेज, कैम्पस, बेबर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद।	उपसचिव	चिकित्सक
5.	श्री अनोज कुमार यादव	श्री कामेश्वर प्रसाद भण्डाल	रंजन निकेतन कोर्ट स्टेशन जिला- पूर्णिया, बिहार।	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
6.	श्री अतुल कुमार	श्री हरिनाथ सिंह	सिविल लाइन्स फतेहगढ़ जिला-फर्रुखाबाद।	सदस्य	समाजसेवा
7.	श्री विनीत कुमार	श्री अनिल कुमार भारती	रंजन निकेतन, कोर्ट स्टेशन जिला- पूर्णिया बिहार।	सदस्य	समाजसेवा

6. हम निम्न इस्ताखरकर्ता घोषित करते हैं कि इस समिति एवं नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजि०अधि० सं० 21 सन 1860 अन्तर्गत पंजीकृत की गयी है।

क्र०सं०	नाम	हस्ताक्षर
1.	श्रीमती शान्तीप्रिया	
2.	श्री साकेत कुमार	
3.	डॉ० जितेन्द्र सिंह	
4.	डा० अनीता रंजन	
5.	श्री अनोज कुमार यादव	
6.	श्री अतुल कुमार	
7.	श्री विनीत कुमार	



प्रधान सहायक
फर्ना, सोसाइटीज तथा चिदस
कागपुर

04/04/2022

- :: - संशोधित नियमावली - :: -

1. संस्था का नाम :- बाबू सिंह कृष्णा देवी समिति
2. संस्था का पता :- A/1, डाक्टर्स कालोनी, मेडिकल कालेज कैम्पस, बेबर रोड, फतेहगढ़ -
फर्रुखाबाद (उ० प्र०) 209601
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था के उद्देश्य :- स्मृति पत्र के अनुसार
5. संस्था की सदस्यता :-

अ) संरक्षक आजीवन सदस्य :- संस्था के यह संस्थापक सदस्य होंगे। संस्था का मंत्री/सचिव/प्रबंधक/प्रबन्ध निदेशक/सेक्रेटरी संरक्षक आजीवन सदस्यों में से ही होगा। संस्था की सदस्यता प्रदान करने का अधिकार संरक्षक आजीवन सदस्यों को होगा। संरक्षक आजीवन सदस्यों का निर्णय सदस्यता प्रदान करने हेतु अंतिम एवं मान्य होगा। उनके इस निर्णय की अपील किसी भी न्यायालय एवं अधिकारी के समक्ष नहीं हो सकेगी। संस्था के संक्रमण काल में सभी अधिकार संरक्षक आजीवन सदस्यों में निहित होंगे। संरक्षक आजीवन सदस्य की मृत्यु होने पर उनका/उनकी ज्येष्ठ वारिस स्वतः संरक्षक आजीवन सदस्य हो जायेगा। इस समय श्रीमती डा० अनीता रंजन एवं डा० जितेन्द्र सिंह यादव संरक्षक आजीवन सदस्य हैं।

ब) आजीवन सदस्य :- संस्था की आजीवन सदस्यता ग्रहण करने हेतु संस्था के मंत्री को रजिस्टर्ड डाक द्वारा आवेदन पत्र के साथ पांच लाख रुपये का ड्राफ्ट (संस्था के मंत्री के नाम देय हो) संलग्न कर प्रेषित करना होगा तत्पश्चात संरक्षक आजीवन सदस्यों द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकृत होने के पश्चात आजीवन सदस्यता प्राप्त होगी।

स) साधारण सदस्य :- जो सज्जन संस्था को एक लाख रु० अदा करेंगे वह साधारण सदस्य होंगे इनका कार्यकाल पांच वर्ष होगा शेष नियम आजीवन सदस्य की भांति होंगे।

6. सदस्यता की समाप्ति - मृत्यु होने पर, पागल एवं दिवालिया होने पर, न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर, लगातार बैठकों में बिना किसी उचित कारण के अनुपस्थित रहने पर, संस्था विरोधी कार्यवाही में लिप्त घोषित होने पर।

7. संस्था के अंग :- (अ) साधारण सभा
(ब) प्रबन्ध समिति

8. साधारण सभा :- (अ)

- (ग) गठन - सभी सदस्यों को सम्मिलित कर साधारण सभा का गठन किया
- (ब) बैठक - साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अवश्य होगी आवश्यकतानुसार जितनी भी बैठक बुलाई जा सकती है।
- (स) सूचना अधि - सामान्य बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व एवं आवश्यक बैठक की सूचना 5 दिन पूर्व दी जायेगी।
- (द) गणपूर्ति - कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति में कोरम पूर्ण होगा।



सिंह

सिंह

सिंह

सिंह

सिंह

सिंह

सिंह

वरिष्ठ सहायक

संस्थापक फर्रुखाबाद सोसाइटीज तथा चिटस
फर्रुखाबाद मण्डल कानपुर

(य) वार्षिक अधिवेश - प्रतिवर्ष 30 जून को होगा परिस्थितिवश तिथि परिवर्तनीय होगी।

(र) कर्तव्य एवं अधिकार -

(1) वार्षिक बजट पास करना।

(2) प्रबन्ध समिति द्वारा प्रेषित मामलों का निस्तारण करना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति -

(अ) गठन - प्रबन्ध समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव/प्रबन्धक, उपसचिव, कोषाध्यक्ष के एक एक पद तथा 02 कार्यकारिणी सदस्य, इस प्रकार कुल 07 व्यक्ति की कार्यकारिणी होगी।

(ब) बैठक - प्रबन्ध समिति की बैठक वर्ष में दो बार अवश्य होंगी अवश्यकतानुसार कितनी भी बैठकें हो सकेंगी।

(स) गणपूर्ति - प्रबन्ध समिति के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति में गणपूर्ति पूर्ण होगी परन्तु कोरम के अभाव में निरस्त बैठक पुनः बुलाने पर कोरम (गणपूर्ति) की बाध्यता नहीं होगी।

(द) सूचना अवधि - सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व एवं आवश्यक बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी।

(य) कार्यकाल - प्रबन्ध समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा।

(र) रिक्त स्थान की पूर्ति - प्रबन्ध समिति में कोई स्थान रिक्त होने पर शेष कार्यकाल के लिये साधारण सभा द्वारा की जायेगी।

(ल) प्रबन्ध समिति के अधिकार एवं कर्तव्य -

(1) वार्षिक बजट पास करना।

(2) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करना।

(3) समिति को चल-अचल सम्पत्ति क्रय करने एवं विक्रय करने, लीज एवं किराये पर अन्य व्यक्तियों, समितियों एवं संस्थानों को देने, राष्ट्रीयकृत व अन्य बैंकों से ऋण व बैंक गारण्टी प्राप्त करने व समिति के वर्तमान व भविष्य में प्राप्त (Acquire) होने वाली सम्पत्ति को संयुक्त रूप से मूल विक्रय विलेख आदि को बैंक में बन्धक (Mortgage) कर सकने का अधिकार होगा।



सत्य-प्रतिलिपि

Hina

Qy

अखिल सहायक

संस्था के उद्देश्यों के प्रमत्तता के अन्तर्गत तथा वित्त
कानपुर मण्डल कानपुर

10. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

(अ) अध्यक्ष :- इसे प्रेसीडेंट/चेयरमैन भी कह सकेंगे इसके निम्न अधिकार होंगे।

Ami
MSF

Ami

Anita Rayar

शान्ती प्रिया

Qy

- (1) सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
- (2) सामान्य मत होने पर निर्णायक मत देना।

(ब) उपाध्यक्ष :- चेयरमैन/प्रेसीडेंट/अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार करना।

(स) सचिव/प्रबन्धक :- यह संस्था का सेक्रेटरी/मंत्री/प्रबन्धक एवं महानिदेशक होगा। इसके निम्न अधिकार होंगे।

- (1) संस्था के समस्त अभिलेखों का रख रखाव करना एवं उन्हें मैन्टेन करना।
- (2) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति का रख रखाव करना एवं संस्था की ओर विक्रय/ क्रय पत्र एवं प्रत्येक प्रकार की डीड लिखना।
- (3) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करना तथा रसीद देना।
- (4) संस्था के लिए कर्मचारी नियुक्त करना एवं निष्कासित करना।
- (5) जो कर्तव्य किसी भी पदाधिकारी के स्पष्ट नहीं है वह समस्त कर्तव्य एवं अधिकार मंत्री के होंगे।
- (6) सचिव को संस्था की ओर से समिति को चल-अचल सम्पत्ति क्रय करने एवं विक्रय करने, लीज एवं किराये पर अन्य व्यक्तियों, समितियों एवं संस्थानों को देने, राष्ट्रीयकृत व अन्य बैंकों से ऋण व बैंक गारण्टी प्राप्त करने व समिति के वर्तमान व भविष्य में प्राप्त (Acquire) होने वाली सम्पत्ति को संयुक्त रूप से मूल विक्रय विलेख आदि को बैंक में बन्धक (Mortgage) कर सकने का व बैंक के ऋण अभिलेख व पुर्नजीवन पत्र व खातों के संचालन करने का तथा संस्था की चल-अचल सम्पत्ति को ऋण अथवा बैंक गारण्टी के सापेक्ष बन्धक रखने का पूर्ण अधिकार भी निहित होगा। समिति के किसी पदाधिकारी/सदस्य द्वारा ऐसा कोई भी आचरण किया जा रहा हो, जिससे संस्था के हित प्रभावित हो रहे हों तो सचिव द्वारा उसे बिना नोटिस के तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जायेगा। जिसका निर्णय अन्तिम होगा।



Handwritten signature/initials.

सत्य-प्रतिलिपि (7)

Handwritten signature/initials and text: "उपसचिव :- संस्था के मंत्री द्वारा सौंपे गये कार्य करना।"

Handwritten signature/initials.

Anita Jais

माननीय प्रिण्ट

(य) कोषाध्यक्ष :- कोष का रख-रखाव करना।

- 11- संस्था के नियमों में संसोधन :- संस्था के नियमों एवं नितियों में २/३ सदस्यों की सहमति पर मान्य होगा।
- 12- संस्था का कोष :- संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक में खाता खोलकर, खाते का संचालन मंत्री/प्रबन्धक द्वारा होगा।
- 13- अदालती कार्यवाही :- चाहे संस्थावादी हो अथवा प्रतिवादी संस्था की ओर से मंत्री/प्रबन्धक द्वारा अदालती कार्यवाही की जायेगी।
- 14- आडिट :- संस्था का आडिट किसी सुयोग्य व्यक्ति द्वारा कराया जायेगा।
- 15- अभिलेख :- संस्था के निम्न अभिलेख होंगें।
 - (1) सदस्यता रजिस्टर।
 - (2) कार्यवाही रजिस्टर।
 - (3) ऐजेण्डा रजिस्टर।
 - (4) स्टॉक रजिस्टर।
 - (5) कैश बुक आदि।
- 16- विघटन :- संस्था के विघटन पर सम्पत्ति का निस्तारण सोसाइटी रजि० एक्ट 1860 धारा 13 व 14 के अनुसार होगा।
- 17- समिति द्वारा संचालित संस्थाएँ :- वर्तमान में संस्था के प्रबंधन एवं पूर्ण स्वामित्व में संचालित संस्थाएँ—
 - अ. साई मीर कॉलेज ऑफ फार्मसी, फर्रुखाबाद रोड, लिबरामऊ, कन्नौज।
 - ब. साई मीर कॉलेज ऑफ पॉलीटेक्निक, फर्रुखाबाद रोड, लिबरामऊ, कन्नौज।

दिनांक



सत्यप्रतिलिपि

हस्ताक्षर

Anita Rayan

शान्तिप्रिया

Shan

Shan

Anita
सत्य-प्रतिलिपि

Shan

Shan

वरिष्ठ सहायक

अध्यक्ष सचिवक कक्षा, सोसाइटीज तथा चित्तस
कानपुर मण्डल कानपुर

आयकर विभाग भारत सरकार
INCOME TAX DEPARTMENT GOVT. OF INDIA
BABU SINGH KRISHNA DEVI SAMITI

07/06/2013

Permanent Account Number

AAC&B0534N

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE
HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

“वचन पत्र”

मैं डा0 जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह, सचिव डा0 अनीता रंजन मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पिटल, शिरडी धाम फरुखाबाद रोड, छिबरामऊ, कन्नौज निम्न वचन शपथपूर्वक करता हूँ कि:

1. मैं वचनकर्ता बाबू सिंह कृष्णा देवी समिति, शिरडी धाम फरुखाबाद रोड, छिबरामऊ कन्नौज में प्रबन्धक/सचिव है।
2. यह कि डा0 अनीता रंजन मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पिटल, शिरडी धाम फरुखाबाद रोड, छिबरामऊ कन्नौज जो कि 150 बेड का हॉस्पिटल है उसका मैं सचिव हूँ।
3. मैं वचन करता हूँ कि बाबू सिंह कृष्णा देवी समिति द्वारा साईं मीर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल, शिरडी धाम फरुखाबाद रोड, छिबरामऊ कन्नौज के नाम से एक नवीन कालेज हेतु आवेदन किया है। जिसमें नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के कोर्स संचालित होंगे। उक्त कालेज हेतु मेरे स्वामित्व में संचालित हॉस्पिटल, डा0 अनीता रंजन मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पिटल को मैं नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान के चालू रहने तक 'मूल/संबद्ध अस्पताल' के रूप में उपयोग करने हेतु अपनी अनुमति प्रदान करता हूँ।

RAM PRAKASH RAJPUT

Advocate-Notary

Reg. No. 167/2020

Fatehgarh Court District Farrukhabad

4. मैं वचन करता हूँ कि, मेरे द्वारा संचालित उक्त वर्णित अस्पताल किसी अन्य नर्सिंग/पैरामेडिकल संस्था के लिए "मूल/संबद्ध अस्पताल" के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा।

5. मैं वचन करता हूँ कि यह वचन पत्र कम से कम 30 वर्ष के लिए लागू होगा।

मैं वचन देता हूँ कि साईं मीर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल के 'मूल/संबद्ध अस्पताल' होने के कारण डा0 अनीता रंजन मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए जो भी दिशा-निर्देश उ0प्र0 शासन/संबद्ध विश्वविद्यालय/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/नर्सिंग काउंसिल द्वारा दिये जायेंगे उनका पूर्णतया पालन कराया जायेगा।

वचन पत्र आज दिनांक 20/11/2024 को हस्ताक्षरित किया गया।



वचन कर्ता के हस्ताक्षर : [Signature]
वचन कर्ता का नाम : डा0 जितेंद्र सिंह
पदनाम : सचिव
संस्था का नाम : डा0 अनीता रंजन मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिरडी घाम फरुखाबाद रोड छिबरामऊ कन्नौज

(1) साक्षी के हस्ताक्षर : [Signature]
नाम : समृद्धि सिंह
पदनाम : अध्यक्ष
संस्था : बाबू सिंह कृष्णा देवी समिति

(2) साक्षी के हस्ताक्षर : [Signature]
नाम : तुहीना भारती
पदनाम : उपाध्यक्ष
संस्था : बाबू सिंह कृष्णा देवी समिति

(3) साक्षी के हस्ताक्षर : [Signature]
नाम : डा0 अनीता रंजन
पदनाम : उपसचिव
संस्था : बाबू सिंह कृष्णा देवी समिति

(4) साक्षी के हस्ताक्षर : [Signature]
नाम : अतुल कुमार
पदनाम : सदस्य
संस्था : बाबू सिंह कृष्णा देवी समिति

(5) साक्षी के हस्ताक्षर : [Signature]
नाम : कौशलेन्द्र सिंह
पदनाम : कोषाध्यक्ष
संस्था : बाबू सिंह कृष्णा देवी समिति

(6) साक्षी के हस्ताक्षर : [Signature]
नाम : जावेद अली
पदनाम : सदस्य
संस्था : बाबू सिंह कृष्णा देवी समिति

Solemnly affirmed and stated on oath
of 20/11/2024 year 2024 between the hours
of 10:00 AM to 12:00 PM
I, Shri. [Signature]
has heard & understood its contents
Certified by Shri. [Signature]

[Signature]
RAM PRAKASH RAJPUT
Associate-Notary
Reg. No. 12070
Fatehgarh Uttarpradesh